छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक–A एकात्म पथ, सेक्टर–24 अटल नगर, रायपुर (छ0ग0)
ईमेल–secretaryboc@gmail.com, Phone No. 0771-2971063-64

//अधिसूचना//

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक.....

क्रमांक/GENS/6215/2025-SECTION - SCHEME / REGISTRATION /''भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996'' सहपठित ''छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियमन) नियम 2008'' के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद् द्वारा छ0ग0 भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित **''मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना''** में पूर्व में जारी **अधिसूचना क्रमांक/80/04/योजना /बीओसी/ 2023/152 दिनांक 20.09. 2023 के कंडिका (घ),** में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:–

कंडिका (घ) योजना में देय हितलाभ :–

मंडल के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को स्वयं के भूखंड पर आवास निर्माण अथवा नवीन आवास क्रय के लिए पात्र हितग्राहियों को **राशि रू 1,00,000/– (अक्षरी एक लाख रू) एकमुश्त अनुदान के रूप में देय होगा।**

के स्थान पर

1. ''मंडल के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को स्वयं के भूखंड पर आवास निर्माण के लिए पात्र हितग्राहियों को राशि रूपये 1,50,000/– (अक्षरी एक लाख पचास हजार रू) अनुदान के रूप में दो किश्तों में देय होगा–

(i) प्रथम किश्त राशि रुपये 75,000/– आवेदन स्वीकृति उपरांत देय होगा।

(ii) द्वितीय किश्त राशि रुपये 75,000/– आवास पूर्ण उपरांत भौतिक सत्यापन पर देय होगा।

2. नवीन आवास क्रय हेतु राशि रूपये 1,50,000/–भौतिक सत्यापन पर देय होगा।''

(शेष नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।)
उपरोक्त अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगा।
श्रम विभाग, छ0ग0 शासन द्वारा अनुमोदित।

Digitally signed by
Gireesh Kumar Ramteke
Date: 23-03-2026
13:48:23

(गिरीश रामटेके)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल,

निरंतर.....2

File No.: GENS/6215/2025-SECTION - SCHEME / REGISTRATION / **अटल नगर, दिनांक**

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
2. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
3. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
5. श्रमायुक्त, कार्यालय श्रमायुक्त, इन्द्रावती भवन, खण्ड–03, व्दितीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
6. प्रभारी अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल खण्ड–03, व्दितीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
7. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
8. समस्त, जिला कलेक्टर,(छ0ग0)।
9. समस्त, सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय(छ0ग0)।
10. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में **निःशुल्क** प्रकाशन हेतु।
11. लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
12. एन0आई0सी0 शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0) की ओर **तत्काल** वेब साईट में अपलोड करने बाबत्।
13. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित्।

सही/–
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक–A एकात्म पथ,सेक्टर–24 अटल नगर, रायपुर (छ0ग0)

ईमेल– secretaryboc@gmail.com, phone No. 0771-2971063

//अधिसूचना//

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 20/09/2023

क्रमांक/80/04/योजना/बीओसी/2023/ 152 "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद् द्वारा छत्तीसगढ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित **"मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना"** में पूर्व में जारी अधिसूचना क्र0/80/04/योजना/बीओसी/2023/137 दिनांक 01.03.2023 एवं अधिसूचना क्र0/80/04/योजना/बीओसी/2023/141 दिनांक 08.06.2023 के **कण्डिका (घ) योजना में देय हितलाभ, कण्डिका (च) योजना आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज के उपबिन्दु (2) एवं कण्डिका (झ) भुगतान की प्रक्रिया** में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करती है :–

"मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना" :–

(घ) योजना में देय हितलाभ :–

मंडल के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को स्वयं के भूखंड पर आवास निर्माण अथवा नवीन आवास क्रय के लिए पात्र हितग्राहियों को राशि रू 50,000/– एकमुश्त अनुदान के रूप में देय होगा के स्थान पर

मंडल के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को स्वयं के भूखंड पर आवास निर्माण अथवा नवीन आवास क्रय के लिए पात्र हितग्राहियों को राशि रू 1,00,000/– (अक्षरी एक लाख रू) एकमुश्त अनुदान के रूप में देय होगा अंतः स्थापित करता है।

(च) योजना आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज :–

2. आवेदक द्वारा वित्तीय संस्थान/बैंक के द्वारा आवास ऋण स्वीकृति पत्र की मूल स्कैन प्रति **को विलोपित करता है।**

(च) भुगतान की प्रक्रिया :–

आवेदन के स्वीकृति उपरांत योजनांतर्गत देय अनुदान राशि आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0/डी0बी0टी0 के माध्यम से श्रमिक के ऋण खाता (लोन अकाउंट) में हस्तांतरित की जावेगी के स्थान पर

निरंतरित.....2

आवेदन के स्वीकृति उपरांत योजनांतर्गत देय अनुदान राशि आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0/डी0बी0टी0 के माध्यम से श्रमिक के बैंक खाता में हस्तांतरित की जावेगी अंतः स्थापित करता है।

(शेष नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।)

उपरोक्त योजना में संशोधन अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगी।

(छ0ग0 शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

21/9/2023

(सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

पृष्ठां0 क्रमांक/80/04/योजना/बीओसी/2023/3208-3225 नवा रायपुर, दिनांक 20/09/23

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
2. उप सचिव, कार्यालय मुख्य सचिव, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
3. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्री जी, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
4. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल ऑफिस कॉम्पलेक्स, प्रथम तल, ब्लाक–A, एकात्म पथ, सेक्टर–24, अटल नगर नवा रायपुर (छ0ग0)।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
6. श्रमायुक्त, कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड–03, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
7. प्रभारी अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड–03, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ0ग0)।
8. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
9. संचालक, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
10. संचालक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ0ग0)।

निरंतर.....3

11. समस्त, जिला कलेक्टर,(छ0ग0)।
12. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय(छ0ग0)।
13. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय(छ0ग0)।
14. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
15. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित् कर लेख है कि कृपया प्रकाशित राजपत्र की 50 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
16. लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
17. एन0आई0सी0 शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0) की ओर **तत्काल** वेब साईट में अपलोड करने बाबत्।
18. गार्ड फाईल।

20/01/2023

सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक–A एकात्म पथ,सेक्टर–24 अटल नगर, रायपुर (छ0ग0)
ईमेल– secretaryboc@gmail.com, phone No. 0771-2971063

//अधिसूचना//

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 08/6/2023

क्रमांक/80/04/योजना/बीओसी/2023/147 "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद् द्वारा छत्तीसगढ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के संचालित **"मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना"** में **छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के संचालक मंडल की 19 वीं बैठक दिनांक 19.04.2023 में लिए गए निर्णय के परिपालन में** पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक/80/04/योजना/बीओसी/2023/137 दिनांक 01.03.2023 के **कण्डिका (ग) योजना का प्रावधान के उपबिन्दु (2), कण्डिका (घ) योजना में देय हितलाभ, कण्डिका (ड.) योजना की पात्रता के उपबिन्दु (3) एवं कण्डिका (च) योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज के उपबिन्दु (3)** में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करती है :–

"मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना" :–

(ग) योजना का प्रावधान :–

2. हितग्राही द्वारा ऋण (लोन) स्वीकृति के दिनांक से 06 माह के भीतर आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा को **विलोपित करता है।**

(घ) योजना में देय हितलाभ :–

मंडल के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को स्वयं के भूखंड पर आवास निर्माण/नवीन आवास क्रय के लिए वित्तीय संस्थान अथवा बैंक से लिये गये ऋण (लोन) हेतु ब्याज की प्रतिपूर्ति के लिए वास्तविक ब्याज की राशि या राशि रूपये 50,000/– तक जो भी कम हो अनुवृत्ति (सब्सिडी) के रूप में देय होगा के स्थान पर

मंडल के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को स्वयं के भूखंड पर आवास निर्माण अथवा नवीन आवास क्रय के लिए पात्र हितग्राहियों को राशि रू 50,000/– एकमुश्त अनुदान के रूप में देय होगा अंतः स्थापित करता है।

निरंतर.....2

(ड.) योजना की पात्रता :–

3. पति व पत्नी दोनों के मंडल में पंजीकृत हितग्राही होने की स्थिति में योजना के तहत् केवल एक ही हितग्राही को आवास के लिए अनुवृत्ति (सब्सिडी) प्राप्त हो सकेगा के स्थान पर

पति व पत्नी दोनों के मंडल में पंजीकृत हितग्राही होने की स्थिति में योजना के तहत् केवल एक ही हितग्राही को आवास के लिए एकमुश्त अनुदान राशि प्राप्त हो सकेगा अंतः स्थापित करता है।

(च) योजना आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज :–

3. ऋण प्रदाता वित्तीय संस्थान/बैंक के द्वारा ऋण पर लगने वाले ब्याज की गणना संबंधी पत्रक को **विलोपित करता है।**

(शेष नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।)

उपरोक्त योजना में संशोधन अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगी।

(छ0ग0 शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

(सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

पृष्ठां0 क्रमांक/80/04/योजना/बीओसी/2023/1072-1089 नवा रायपुर, दिनांक 08/6/23

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
2. उप सचिव, कार्यालय मुख्य सचिव, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
3. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्री जी, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
4. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल ऑफिस कॉम्पलेक्स, प्रथम तल, ब्लाक–A, एकात्म पथ, सेक्टर–24, अटल नगर नवा रायपुर (छ0ग0)।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।

निरंतर.....2

6. श्रमायुक्त, कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड–03, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
7. प्रभारी अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड–03, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ0ग0)।
8. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
9. संचालक, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
10. संचालक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ0ग0)।
11. समस्त जिला कलेक्टर,(छ0ग0)।
12. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय(छ0ग0)।
13. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय(छ0ग0)।
14. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
15. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित् कर लेख है कि कृपया प्रकाशित राजपत्र की 50 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
16. लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
17. एन0आई0सी0 शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0) की ओर **तत्काल** वेब साईट में अपलोड करने बाबत्।
18. गार्ड फाईल।

सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक–A एकात्म पथ,सेक्टर–24 अटल नगर, रायपुर (छ0ग0)
ईमेल– secretaryboc@gmail.com, phone No. 0771-2971063

//अधिसूचना//

नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर, दिनांक 01/03/2023

क्रमांक/80/04/योजना/बीओसी/2023/137 "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एतद् द्वारा छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार नवीन योजना **"मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना" बनाती है :–**

(क) योजना का नाम :–

योजना का नाम **"मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना"** होगा।

(ख) योजना का उद्देश्य :–

इस योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को उनके बेहतर जीवन–यापन करने हेतु स्वयं के भूखंड पर आवास निर्माण अथवा नवीन आवास क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता दिया जाना है।

(ग) योजना का प्रावधान :–

1. छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत गत् 03 वर्ष से निरंतर पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को योजना का लाभ प्रदाय किया जावेगा।
2. हितग्राही द्वारा ऋण (लोन) स्वीकृति के दिनांक से 06 माह के भीतर आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा।
3. योजना का लाभ पुरे जीवन काल में एक बार ही देय होगा।

(घ) योजना में देय हितलाभ :–

मंडल के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को स्वयं के भूखंड पर आवास निर्माण/नवीन आवास क्रय के लिए वित्तीय संस्थान अथवा बैंक से लिये गये ऋण (लोन) हेतु ब्याज की प्रतिपूर्ति के लिए वास्तविक ब्याज की राशि या राशि रूपये 50,000/– तक जो भी कम हो अनुवृत्ति (सब्सिडी) के रूप में देय होगा।

निरंतर.....2

(ड.) **योजना की पात्रता :–**

1. मंडल के अंतर्गत पंजीकृत ऐसे श्रमिक जिनकी मंडल के अंतर्गत निरंतर 03 वर्ष पूर्व का जीवित पंजीयन हो।
2. पंजीकृत निर्माण श्रमिक के पास छत्तीसगढ़ प्रदेश में किसी भी स्थान पर स्वयं अथवा परिवार के सदस्यों के नाम से आवास ना हो।
3. पति व पत्नी दोनों के मंडल में पंजीकृत हितग्राही होने की स्थिति में योजना के तहत् केवल एक ही हितग्राही को आवास के लिए अनुवृत्ति (सब्सिडी) प्राप्त हो सकेगा।
4. योजना अंतर्गत मंडल में पंजीकृत श्रमिक के स्वयं के भूखंड पर आवास निर्माण/नवीन आवास क्रय हेतु शहरीय क्षेत्रों में 500 वर्गफीट एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 वर्गफीट क्षेत्रफल का अधिकतम भू–खंड होना चाहिए।
5. आवेदक द्वारा भू–खंड शासकीय पट्टा यथा वन अधिकार मान्यता पत्र (पटटा)/प्रचलित आबादी क्षेत्र में भू –अधिकार पत्र (पटटा)/मुख्यमंत्री आबादी भू अधिकार पत्र (पटटा) के आधार पर प्राप्त आवास निर्माण के अंतर्गत भी योजना हेतु आवेदन किया जा सकेगा।
6. आवास निर्माण/क्रय के लिए चयनित भूखंड संपत्ति विवादास्पद नहीं होना चाहिए।
7. यदि पंजीकृत श्रमिक के पास स्वयं की भूमि/क्रय किये जा रहे नवीन आवास के लिए छत्तीसगढ़ शासन के संबंधित विभाग (नगर एवं ग्राम निवेश विभाग, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत) से भूमि व्यपवर्तन/भवन अनुज्ञा/पंचायत से अनुशंसा/अनुमति प्रदाय किए जाने संबंधी प्रमाण पत्र।

टीपः– यदि हितग्राही द्वारा दी गई जानकारी मिथ्या/कूटरचित पाए जाने पर योजना अंतर्गत लाभ की राशि मंडल को वापसी योग्य होगी, जिसकी भू राजस्व के नियम अंतर्गत वसूली की जा सकेगी।

8. योजना अंतर्गत आवेदक के परिवार से आशय है–
 - ❖ आवेदक स्वयं, पंजीकृत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार
 - ❖ पत्नी अथवा पति (यथा स्थिती अनुसार)।
 - ❖ आश्रित पुत्र
 - ❖ अविवाहित पुत्री या विधवा/परित्यक्ता आश्रित पुत्री।
 - ❖ आश्रित माता एवं पिता।

(च) **योजना आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज :–**

1. हितग्राही के आवेदन की तिथि के पूर्व में 01 वर्ष की अवधि के भीतर कम से कम 90 दिवस निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया होने का नियोजक प्रमाण–पत्र की मूल स्कैन प्रति।
2. आवेदक द्वारा वित्तीय संस्थान/बैक के द्वारा आवास ऋण स्वीकृति पत्र की मूल स्कैन प्रति।

निरंतर.....3

3. ऋण प्रदाता वित्तीय संस्थान/बैक के द्वारा ऋण पर लगने वाले ब्याज की गणना संबंधी पत्रक।
4. आवेदित भूखंड का खसरा, नक्शा, बी–वन अथवा भू–खंड शासकीय पट्टा यथा वन अधिकार मान्यता पत्र (पटटा)/प्रचलित आबादी क्षेत्र में भू अधिकार पत्र (पटटा)/मुख्यमंत्री आबादी भू अधिकार पत्र (पटटा) का मूल स्कैन प्रति।
5. आधार कार्ड (जो मोबाइल नंबर से लिंक हो) की मूल स्कैन प्रति।
6. हितग्राही द्वारा **कंडिका (ड.) के उप कंडिका (2)** में लिखित कथन के संबध में स्वघोषणा पत्र की मूल स्कैन प्रति।

(छ) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :–

1. योजना के तहत आवेदन केवल ऑनलाइन के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे।
2. आवेदक स्वयं/श्रमेव जयते मोबाइल एप/ऑनलाइन विभागीय पोर्टल https://cglabour.nic.in/संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय अथवा किसी भी लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
3. जांचकर्ता/स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर मूल दस्तावेज हितग्राही द्वारा प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

टीप– ऑनलाइन आवेदन के साथ केवल मूल दस्तावेज ही स्कैन कर ऑनलाइन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

(ज) जांच स्वीकृति का अधिकार :–

1. **जांचकर्ता अधिकारी** – योजना के आवेदन की जाँच संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के श्रम निरिक्षक/श्रम उपनिरीक्षक/श्रम कल्याण अधिकारी/श्रम कल्याण निरीक्षक द्वारा आवेदनों की जांच की जावेगी।

2. **स्वीकृतकर्ता अधिकारी** – पात्रता की जाँच के उपरांत संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी के द्वारा आवेदनों की स्वीकृति की जावेगी।

(झ) भुगतान की प्रक्रिया :–

आवेदन के स्वीकृति उपरांत योजनांतर्गत देय अनुदान राशि आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0/डी0बी0टी0 के माध्यम से श्रमिक के ऋण खाता (लोन अकाउंट) में हस्तांतरित की जावेगी।

(ञ) योजना के अंतर्गत विसंगति का निराकरण :–

योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि अन्य कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो उस स्तिथि में सचिव, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का निर्णय अंतिम होगा।

निरंतर.....4

(ट) **योजना का प्रभावशीलन :–**

यह योजना अधिसूचना जारी दिनांक से संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रभावशील होगी।

(छ0ग0 शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

1/3/2023

(सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

पृष्ठां0 क्रमांक / 80 / 04 / योजना / बीओसी / 2023 / 6991 7008 नवा रायपुर,अटल नगर दिनांक 01/3/23

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
2. उप सचिव, कार्यालय मुख्य सचिव, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
3. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्री जी, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
4. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल ऑफिस कॉम्पलेक्स, प्रथम तल, ब्लाक–A, एकात्म पथ, सेक्टर–24, अटल नगर नवा रायपुर (छ0ग0)।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
6. श्रमायुक्त, कार्यालय श्रमायुकत छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड–03, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
7. प्रभारी अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड–03, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ0ग0)।
8. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31 / 520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
9. संचालक, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
10. संचालक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ0ग0)।
11. समस्त जिला कलेक्टर,(छ0ग0)।
12. समस्त सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय(छ0ग0)।

निरंतर.....5

13. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय(छ0ग0)।

14. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।

15. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित् कर लेख है कि कृपया प्रकाशित राजपत्र की 50 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

16. लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।

17. एन0आई0सी0 शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0) की ओर **तत्काल** वेब साईट में अपलोड करने बाबत्।

18. गार्ड फाईल।

1/3/22

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के तहत् लाभ लेने हेतु

–: स्व घोषणा पत्र प्रारूप :–

मैं पिता/पति श्री
ग्राम/वार्ड..... पोस्ट विकासखण्ड
विधानसभा क्षेत्रनगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत.....
जिला का निवासी हूं।

मैं छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत हूं। मेरा पंजीयन क्रमांक दिनांक है। मैं मेसर्स/श्री/श्रीमतीके संस्थान में के रूप में कार्य कर रही/रहा हूं। इस प्रकार कुलदिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य कर रही/रहा हूं।

मेरे/मेरे परिवार के सदस्यों के पास छत्तीसगढ़ प्रदेश में किसी भी स्थान पर स्वयं अथवा परिवार के सदस्यों के नाम से आवास नहीं है।

बैंक का नाम शाखा का नाम

आईएफएसी कोड है, जो वर्तमान में प्रचलित है।

मैं घोषणा करती/करता हूं कि, उपरोक्तानुसार मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य है, किसी भी प्रकार की जानकारी गलत पाये जाने पर योजना के तहत प्राप्त राशि वापस करने हेतु बाध्य रहूंगी/रहूंगा तथा मेरे ऊपर मंडल द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांक.....

आवेदिका/आवेदक के
हस्ताक्षर

हितग्राही का नाम –

पता –

.....

.....

मोबाईल नं –

1/3/2023